

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 06 फरवरी, 2018 ई0 माघ 17, 1939 शक सम्वत्

#### उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8

संख्या 137/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-I देहरादून, 06 फरवरी, 2018

#### अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) सपिटत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा • 21 द्वारा प्रदल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग- 8 की अधिसूचना सं. 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तारीख 29 जून, 2017 में, निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(क) मद (iv) में,

1/

- (i) उप मद (ग) के स्थान पर निम्निलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-"(ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भूमि को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए वर्तमान मिलन बस्तियों का ख:स्थानिक पुनर्विकास;";
- (ii) उप मद (घ) के पश्चात निम्नलिखित उप मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(घक) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य/स्थानीय प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा भागीदारी के तहत एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्मित आवासों से संबंधित हो;

(घख) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग-1 (एमआईजी-1)/मध्यम आय वर्ग-2 (एमआईजी-2) से संबंधित क्रेडिट लिंक सिब्सडी स्कीम के अंतर्गत निर्मित या अधिग्रहित मकानों से संबंधित हो";

- (iii) उप मद (च) के पश्चात निम्नलिखित उप मदों को अंत स्थापित किया जाएगा, यथा;- "(छ) ऐसा भवन जो कि ऐसे किसी निकाय के स्वामित्व में हो जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत पंजीकृत हो, जिसका प्रयोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा प्रायोजित मध्याह भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह भोजन को प्रदान करने, केन्द्रीय रूप से तैयार करने या उसका वितरण करने के कार्य में किया जाता हो,"
- (ख) मद (v) में,

(i) उप मद (क) में "को छोड़कर" शब्द के स्थान पर "समेत" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ii) उप मद (घ) के पश्चात निम्नलिखित उप मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, "(घक) किसी एफोर्डेंबल हाउसिंग परियोजना के अंतर्गत बनाए गए सस्ते मकान जिनका कार्पेट एरिया 60 वर्ग मीटर प्रति मकान हो जिनको भारत सरकार, विल मंत्रालय, आर्थिक मामले के विभाग की अधिसूचना, फाइल संख्या 13/6/2009-आईएनएफ, दिनांक 30 मार्च, 2017 के तहत अवसंरचना का दर्जा दिया गया हो;";

(ग) मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, कॉलम (3), (4) और (5) में, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ix) उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (iii) या (vi) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो।	6	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो ।
(x) उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (vii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो	2.5	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो ।
(xi) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लिबेंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो । [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(xii) निर्माण सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii),(ix), (x) और (xi) से भिन्न हों।	9	-";

- (ख) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (v) में "प्राकृतिक गैस" शब्दों के स्थान पर "प्राकृतिक गैस, कच्चा पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), हाई स्पीड डीजल या एविएशन टुबाईन फ्यूल" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि माल (जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, से पृथक) पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) परिवहन वाहनों को चाहे चालक समेत अथवा बिना चालक के किराए पर देने की सेवा, उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न ।	9	-".

(घ) क्रम संख्या 16 और उससे **संबंधित प्रविष्टि**यों के स्थान पर निम्नतिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16	शीर्ष 9972	(i) भूमि को पट्टे पर दिए जाने के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	
		(ii) पट्टे या उप पट्टे के आधार पर किसी भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से की आपूर्ति जहां कि ऐसी आपूर्ति मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घक) एवं मद (vi) के उप मद (ग), प्रे मद (घ) और उप मद (घक) एवं मद (vi) के उप मद (ग) में क्रम संख्या 3 के समक्ष प्रविष्टि के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट फ्लैटों आदि के निर्माण की संयुक्त आपूर्ति का एक हिस्सा है। बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे पट्टे या उप-पट्टे पर भारित उस किसी राशि पर लागू नहीं होगी जो कि उक्त संयुक्त आपूर्ति पर भारित कुल राशि के एक तिहाई से अधिक हो। इस परन्तुक के संदर्भ में "कुल राशि" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए इस अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में दिया गया है।	शून्य	~
		(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) <b>से पृथक</b> रीएल एस्टेट सेवाएं	9	-";

(ङ) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम संख्या (3) में मद (vii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि ऐसे माल (जो कि जहाज, जलयान, जिसमें बुल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, में लदे सामानों से पृथक) इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]

(viii) पट्टा या किराए की सेवाएं चाहे आपरेटर सहित हों या नहीं, जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) से पृथक हैं।	दर जो कि इसी	
--	--------------	--

- (च) क्रम संख्या 23 के समक्ष शर्त 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि (i) से संबंधित कॉलम (5) की प्रविष्टि में, "सेवा की पूर्ति", शब्दों के पश्चात ",इसी प्रकार के व्यापार (जैसे कि किसी अन्य टूर आपरेटर से ली गई टूर आपरेटर सेवा) में इनपुट सेवाओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट से भिन्न" को अंत:स्थापित किया जाएगा ।
- (छ) क्रम संख्या 23 के समक्ष कॉलम (3) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससें संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लिबंग,		बशर्ते कि माल एवं सेवाओं
कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी		पर भारित इनपुट टैक्स की
सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए उत्तराखण्ड माल एवं	2.5	क्रेडिट न ली गई हो ।
सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत		[कृपया स्पष्टीकरण संख्या
पंजीकरण आवश्यक नहीं है ।		(iv) देखें]
(iii) समर्थन सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न हों ।	9	_" <u>;</u>

- (ज) (i) क्रम संख्या 24 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-स्पष्टीकरण— "कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशु पालन के लिए समर्थनकारी सेवाओं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:--
  - (i) निम्नलिखित के माध्यम से खाद्य, फाईबर, ईधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पादों या कृषि उत्पाद के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालन—पोषण के सिवाए पालन—पोषण से संबंधित सेवाएँ—
  - (क) किसी कृषि उत्पाद, जिसके अन्तर्गत खेती, फसलें लगाना, थ्रैसिंग, पौध्य संरक्षण या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प्रचालन,
  - (ख) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना;
  - (ग) किसी कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियायें, जिसके अन्तर्गत पौधों की देखभाल करना, छटाई, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप में शुष्कन, धूमन, उन्हें ठीक करना, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, प्रशीतन या प्रपुंज पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो कृषि उत्पाद के अनिर्वाय गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं किन्तु उसे प्राथमिक बाजार के लिए केवल विषणनीय बनाते हैं;
  - (घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराये या पट्टे पर देना;
  - (ङ) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैकिंग भण्डारण या भाण्डागारण
  - (च) कृषि विस्तारण सेवाऐं;
  - (छ) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कृमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाल सेवाएं;
  - (ज) कृषि उत्पादों के वेयर हाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवा।
  - (ii) फलों और सब्जियों के पूर्व अनुकूलन, पूर्व प्रशीतन, पकाने, मोम का लेप चढ़ाने, खुदरा पैकिंग, लेबल लगाने के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाली ऐसी सेवाऐ, जो उक्त फलों या सब्जियों के अनिवार्य गुण धर्म में कोई परिवर्तन या अन्तरण नहीं करती हैं।

(iii) पादपों की बुआई और अश्वों के पालन पोषण के सिवाए पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों के पालन पोषण जैसे खाद्य, रेशे, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के संबंध में जाबवर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना।

(ii) कम **संख्या 24** के समक्ष कॉलम (3) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित की प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) कच्चे पेट्रोलियम और/या प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, खनन या ड्रीलिंग की सेवा	6	-
(iii) खनन, विद्युत, गैस और जल संवितरण की सहायक सेवाएं जो कि उपर्युक्त (ii) से भिन्न हों ।	9	-;

(ज्ञ) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25	হার্ষি 9987	(i) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लिबेंग, कारपेंटिंग जहां कि इतैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) देखभाल, मरम्मत और संस्थापन सेवाएं (निर्माण कार्य को छोड़कर), उपर्युक्त (i) से भिन्न ।	9	_n,

### (ञ) क्रम संख्या 26 के समक्ष कॉलम (3) में,-

मद (i) उप मद (ड.) के पश्चात निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -"(ड.क) सीमा शुक्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 में आने वाले क्रमश: चमड़े के सामानों या फुटवियर का विनिर्माण;";

मद (iii) के स्थान पर और उससे संबंधित (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) टेलरिंग सेवाएं	2.5	-
(iv) दूसरे के स्वामित्व में आने वाले भौतिक वस्तुओं (सामानों) के विनिर्माण की सेवाएं, उपर्युक्त (i), (iक), (ii), (iiक) और (iii) से भिन्न ।	9	

(ट) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"32	হার্চি 9994	(i) कॉमन ईफ्ल्पेंट प्लॉट के द्वारा उत्सर्जनों के परिशोधन की सेवाएं	6	-
		(ii) सिवेज और क्चड़ों का संकलन, उनका परिशोधन और निपटान तथा अन्य पर्यावरण रक्षक सेवाएं, उपर्युक्त (i) से भिन्न	9	_n.

(व) क्रम संख्या ३४ के समक्ष, कॉलम (३),

क. मद (iii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) मनोरंजन पार्को जिसमें थीम पार्कस, वाटर पार्कस, जॉय राइडस, मैरीगो राउंडस, गो-कारटिंग भी आते हैं और बैले में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।	9	-
(iiiक) मनोरंजन समारोह में प्रवेश या मनोरंजन सुविधाओं, जिसमें सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन, कैसिनों, रेस क्लब और क्रीड़ा समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमीयर लीग भी शामिल है और इसी तरह के अन्य बातें शामिल हैं, में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।	14	

ख. मद (vi) में, कोष्ठक और अंक "(iii)" के बाद कोष्ठक और अंक "(iiiक)," को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या (3) के मद (i); मद (iv) के उन मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक); और मद (vi) के उप मद (ग) के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की आपूर्ति के मामले में, जिसमें भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, का अंतरण शामिल हो तो ऐसी आपूर्ति का मूल्य उस कुल राशि के समतुल्य होगा जो कि ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि में से ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य को घटाकर प्राप्त होगी और ऐसी भूमि के या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य के लिए यह माना जाएगा कि यह ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि का एक-तिहाई होगा।

स्पष्टीकर्ण – उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के मामले में, "कुल राशि" से अभिप्राय -

(क) उपर्युक्त सेवाओं के एवज में भारित प्रतिफल; और

(ख) ऐसी भूमि के/की या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से के/की, जैसी भी स्थिति हो, अंतरण पर भारित राशि, जिसमें ऐसे अंतरण में पट्टा या उप पट्टा भी शामिल है, के योग से है"

2. यह अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्तं समझी जायेगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव। In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.137/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-1, dated Dehradun, February 06, 2018 for general information:

No. 137/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-1 Dated Dehradun, February 06, 2018

#### **NOTIFICATION**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance section-8 No. 525/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 namely:-

In the said notification, in the table

- (a) against serial number 3, in column (3), -
  - (A) in item (iv),-
    - (i) for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -
      - '(c) "In-situ redevelopment of existing slums using land as a resource, under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);';
    - (ii) after sub-item (d), the following sub-items shall be inserted, namely: -
      - '(da) Any civil structure or any other original works pertaining to the "Economically Weaker Section (EWS) houses" constructed under the Affordable Housing in partnership by State/ Union territory/ local authority/ urban development authority under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);
      - (db) Any civil structure or any other original construction works pertaining to the "houses constructed or acquired under the Credit Linked Subsidy Scheme for

Economically Weaker Section (EWS)/ Lower Income Group (LIG)/ Middle Income Group-1 (MIG-1)/ Middle Income Group-2 (MIG-2)" under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);";

(iii) after sub-item (f), the following sub-items shall be inserted, namely: "(g) Such building which is owned by any entity registered under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which is used for carrying out the activities of providing, centralised preparing or distributing, the mid-day meals under the mid-day meal scheme sponsored by the Central Government, State Government, Union territory or local authorities.";

#### (B) in item (v),

- (i) in sub-item (a), for the word "excluding", the word "including" shall be substituted;
- (ii) after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -
  - "(da) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in an affordable housing project which has been given infrastructure status under notification of Government of India, in Ministry of Finance, Department of Economic Affairs vide F. No. 13/6/2009-INF, dated 30th March, 2017;";
- (C) for item (ix) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ix)Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (iii) or item (vi) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	6	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.

(x) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (vii) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(xi) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under subsection (1) of section 22 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)].
(xii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii),(ix), (x) and (xi) above.	9	_",

- (b) against serial number 9, in the entry of column (3), in item (v), for the words "natural gas", the words "natural gas, crude petroleum, motor spirit (commonly known as petrol), high speed-diesel or aviation turbine fuel" shall be substituted;
- (c) against serial number 10, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)].
(iii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) and (ii) above.	9	_";

(d) for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16	Heading 9972	(i) Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or	ا بر ا	
	7712	local authority to governmental authority or government entity, by way of lease of land.	Nil	-
		(ii) Supply of land or undivided share of land by way of lease or sub lease where such supply is a part of composite supply of construction of flats, etc. specified in column (3) of the entry, against serial number 3, at item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da)of item (v); and sub-item (c) of item (vi).  Provided that nothing contained in this entry shall apply to an amount charged for such lease and sub-lease in excess of one third of the total amount charged for the said composite supply. 'Total amount' shall have the same meaning for the purpose of this proviso as given in paragraph 2 of this notification.	Nil	-
		(iii) Real estate services other than (i) and (ii) above	9	-";

(e) against serial number 17, for item (vii) in column (3), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)		(4)		(5)
"(vii) Time charter of vessels for transport of goods.		2.5		Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)].
(viii) Leasing or rental services,	Same	rate	of	
with or without operator, other	State	tax	as	-";

than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi)	applicable on		
and (vii) above.	supply of like		
	goods		
	involving	1	
	transfer of title		
	in goods.		

- (f) against serial number 23 in condition (1), in the entry of column (5) regarding entry (i) of column (3), after the words "supplying the service", the words ", other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. tour operator service procured from another tour operator)" shall be inserted;
- (g) against serial number 23, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ii) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under subsection (1) of section 22 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)].
(iii) Support services other than (i) and (ii) above.	9	29,

- (h) (i) against serial number 24, for item (i), in column (3), the following explanation shall be inserted; namely-
  - Explanation. "Support services for agriculture, forestry, fishing, animal husbandry" mean -
  - (i) Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of following—
  - (a) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing;
  - (b) supply of farm labour;
  - (c) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market;
  - (d) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use;
  - (e) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce;
  - (f) agricultural extension services;
  - (g) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce;
  - (h) services by way of fumigation in ware house of agricultural produce.

- (ii) Services by way of preconditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labelling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables.
- (iii) Carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural.
- (ii) against serial number 24, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:

(3)					
"(ii) Service of exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both.					
(iii)Support services to mining, electricity, gas and water distribution other than (ii) above.	9	_'',			

(i) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25	Heading 9987	(i) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)].
		(ii) Maintenance, repair and installation (except construction) services, other than (i) above.	9	-";

- (j) against serial number 26, in column (3),-
  - (A) in item (i), after sub-item (e), the following sub-item shall be inserted, namely: "(ea) manufacture of leather goods or footwear falling under Chapter 42 or 64 in the
    First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) respectively;";

(B) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) Tailoring services.	2.5	-
(iv) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i), (ia), (ii), (iia) and (iii) above.	9	-",

(k) for serial number 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"32	Heading 9994	(i)Services of treatment of effluents by a Common Effluent Treatment Plant.	6	-
	,	(ii) Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services other than (i) above.	9	, 75. 

- (1) against serial number 34, in column (3),-
  - (A) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)		(5)
"(iii) Services by way of admission to amusement parks including theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting and ballet.	9	-
(iiia) Services by way of admission to entertainment events or access to amusement facilities including exhibition of cinematograph films, casinos, race club, any sporting event such as Indian Premier League and the like.	14	

- (B) in item (vi), after the brackets and figures "(iii)", the brackets and figures "(iiia)," shall be inserted;
- (i) for paragraph 2, the following shall be substituted, namely: -
- "2. In case of supply of service specified in column (3), in item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi), against serial number 3 of the Table\_above, involving transfer of land or undivided share of land, as the case may be, the

value of such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of transfer of land or undivided share of land, as the case may be, and the value of such transfer of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

Explanation. -For the purposes of this paragraph, "total amount" means the sum total of,-

- (a) consideration charged for aforesaid service; and
- (b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be including by way of lease or sublease.".
- 2. This notification shall deemed to come into force from the 25th day of January, 2018.

By Order,

RADHA RATURI, Principal Secretary.